

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - - - - -दोवनी-----)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ५६६/२८ दायर दिनांक ०२/१०/२८ निर्णय दिनांक ०२/१०/२८



रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दोवनी	33	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसिलीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ---दोवनी----- प.ह.----- -----दोवनी----- खातासं33..... में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

02/10/25
पटवारी
पटवार हल्का.....
देह.कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
21/10/25
तहसीलदार कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पदेन सहायक कलक्टर कपासन
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़